

# अपराध और शास्तियां

## Chapter-XV

## Offences and Penalties

108. 'सहकारी' शब्द के दुरुपयोग का प्रतिषेध— (1) सहकारी सोसाइटी से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसे किसी नाम या अभिनाम से, जिसका किसी भारतीय भाषा में 'सहकारी' या इसका कोई समानार्थक शब्द भाग हो, व्यापार या कारबार नहीं चलायेगा।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा और अपराध चालू रहने की दशा में, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसको दोषसिद्धि के पश्चात् अपराध चालू रहता है, एक सौ रुपये के और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

108. Prohibition against misuse of the word 'Co-operative'.— (1) No person other than a co-operative society shall trade or carry on business under any name or title of which the word "co-operative" or its equivalent in any Indian language is a Part.

(2) Every person contravening the provisions of sub-section (1) shall on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees and in the case of a continuing offence, with a further fine of rupees one hundred for each day on which the offence is continued after conviction therefor.

109. अपराध और दण्ड— (1) इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित अपराध होंगे, यदि—

(क) कोई व्यक्ति धारा 38 की उप-धारा (2) के उल्लंघन में किसी सम्पत्ति को अंतरित करता है; या

- (ख) कोई सदस्य या उसका प्रत्याभूतिदाता या प्रतिभू या किसी मृत सदस्य का नामनिर्देशित, वारिस या विधिक प्रतिनिधि घोषणा में विनिर्दिष्ट किसी सम्पत्ति को धारा 39 के खण्ड (ग) के उल्लंघन में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अन्यसंक्रांत करता है; या
- (ग) कोई नियोजक और प्रत्येक निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी या ऐसे नियोजक की ओर से कार्य करने वाला एजेंट जो पर्याप्त कारण के बिना धारा 41 के अधीन कटौतियां करने में असफल रहता है; या
- (घ) सहकारी सोसाइटी की कोई समिति या उसका कोई अधिकारी या सदस्य धारा 49 द्वारा अपेक्षित रीति से ऐसी सोसाइटी की निधियां निहित करने में असफल रहता है; या
- (ङ) कोई व्यक्ति जो, किसी सृजनाधीन सहकारी सोसाइटी के लिए शेयर धन या कोई अन्य धन एकत्र करता है, उस धन को समुचित कालावधि के भीतर-भीतर, सरकारी बचत बैंक में या किसी ऐसे अन्य बैंक में या बैंकिंग का व्यवसाय करने वाले ऐसे किसी व्यक्ति के पास, जो रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रयोजन हेतु अनुमोदित हो, या नियमों द्वारा अनुज्ञात किसी अन्य ढंग से, जमा नहीं कराता है; या
- (च) कोई व्यक्ति, जो किसी सृजनाधीन सोसाइटी के लिए शेयर धन या कोई अन्य धन एकत्र करता है, इस प्रकार एकत्र निधि का, रजिस्ट्रीकृत होने वाली किसी सोसाइटी के नाम से कोई कारबार चलाने या व्यापार करने के लिए या अन्यथा उपयोग करता है; या
- (छ) किसी सोसाइटी की समिति, या उसका कोई अधिकारी या सदस्य धारा 25 की उप-धारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है; या
- (ज) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति, जिसके कब्जे में कोई सूचना, पुस्तकें तथा अभिलेख हों या जिसके कब्जे में होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता हो, या वह उन्हें कब्जे में रखने के लिए विधिक रूप से आबद्ध हो, सरकार या रजिस्ट्रार द्वारा धारा 30, 31, 54, 55, 60 या 63 के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी सूचना देने या पुस्तकें तथा अभिलेख प्रस्तुत करने या उसे सहायता देने में असफल रहता है; या
- (झ) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी ऐसी सोसाइटी की, जिसका वह अधिकारी है, पुस्तकें, अभिलेख, नकद, प्रतिभूति तथा अन्य सम्पत्तियां धारा 30 या 63 के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति को या उसके स्थान पर निर्वाचित या नियुक्त किसी अधिकारी को सौंपने में असफल रहता है; या
- (ञ) किसी सहकारी सोसाइटी की समिति या उसका कोई अधिकारी या सदस्य रजिस्ट्रार द्वारा

- या इस निमित्त लिखित में उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपेक्षित कार्य करने में या कोई सूचना देने में जानबूझकर उपेक्षा करता है या इन्कार करता है; या
- (ट) किसी सहकारी सोसाइटी की कोई समिति या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जानबूझकर मिथ्या विवरणी देता है या मिथ्या सूचना देता है या समुचित लेखे रखने में असफल रहता है; या
- (ठ) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी, सदस्य, एजेंट या सेवक धारा 54 की उप-धारा (2) की अपेक्षा का पालन करने में असफल रहता है; या
- (ड) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य धारा 60 के अधीन पारित विनिश्चय, अधिनिर्णय या आदेश का पालन करने में जानबूझकर असफल रहता है; या
- (ढ) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य ऐसी किसी संपत्ति का, जिस पर सोसाइटी का पूर्विक दावा है, कपटपूर्वक व्ययन करता है या कोई सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी या कोई व्यक्ति सोसाइटी को देय धन के संदाय से बचने के कपटपूर्ण आशय से अपनी सम्पत्ति का विक्रय, अंतरण, बंधक, दान द्वारा या अन्यथा व्ययन करता है; या
- (ण) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी अपने व्यक्तिगत उपयोग या फायदे के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसमें उसकी रुचि है, उपयोग या फायदे के लिए किसी अन्य व्यक्ति के नाम से उधार देने की जानबूझकर सिफारिश करता है या मंजूरी देता है; या
- (त) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य किन्हीं पुस्तकों, कागज-पत्रों या प्रतिभूतियों को नष्ट करता है, विकृत करता है, बिगाड़ता है या अन्यथा परिवर्तित करता है, मिथ्याकरण करता है या छिपाता है या उनके नाश, विकृति, परिवर्तन, मिथ्याकरण या छिपाये जाने में संसर्गी बनता है या सोसाइटी के किसी रजिस्टर, लेखा पुस्तक या दस्तावेज में कोई मिथ्या या कपटपूर्ण प्रविष्टि करता है या किये जाने में संसर्गी बनता है; या
- (थ) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य या कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जिसे नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया हो; या
- (द) सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, धारा 30 की उप-धारा (4) या धारा 34 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित अनुरोध राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को संसूचित करने में असफल रहता है।

**स्पष्टीकरण :—** इस धारा के प्रयोजन के लिए, इस धारा में निर्दिष्ट अधिकारी या सदस्य के

अन्तर्गत, भूतपूर्व अधिकारी या, यथास्थिति, भूतपूर्व सदस्य भी है।

(2) प्रत्येक सोसाइटी, किसी सोसाइटी का प्रत्येक अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी, सदस्य या भूतपूर्व सदस्य, कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो उप-धारा (1) के अधीन कोई अपराध करता है, दोषसिद्धि पर, निम्न प्रकार से दण्डित किया जायेगा,-

- (क) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;
- (ख) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;
- (ग) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा;
- (घ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा;
- (ङ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा;
- (च) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (च) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;
- (छ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा;
- (ज) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा;
- (झ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (झ) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा;

- (ज) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा;
- (ट) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ट) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा;
- (ठ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ठ) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा;
- (ड) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;
- (ढ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ढ) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;
- (ण) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ण) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;
- (त) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (त) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;
- (थ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (थ) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा;
- (द) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (द) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा।

**109. Offences and punishment.—** (1) It shall be an offence under this Act, if—

- (a) any person transfers any property in contravention of sub-section (2) of section 38; or
- (b) any member or his guarantor or surety or the nominee, heir or legal

- representative of deceased member alienates the whole or any part of any property specified in the declaration in contravention of clause (c) of section 39; or
- (c) any employer and every director, manager, secretary or other officer or agent acting on behalf of such employer who without sufficient cause, fails to make deductions under section 41; or
  - (d) a committee of a co-operative society or an officer or member thereof fails to invest funds of such society in the manner required by section 49; or
  - (e) any person collecting share money or any other money for a co-operative society in formation, does not, within a reasonable period, deposit the same in the Government Savings Bank or with any bank or person carrying on the business of banking approved for this purpose by the Registrar or in any other mode permitted by the rules; or
  - (f) any person, collecting the share money or any other money for a society in formation makes use of the funds so raised for conducting any business or trading in the name of a society to be registered or otherwise; or
  - (g) a committee of a society, or an officer or member thereof, fails to comply with the provisions of sub-section (1) of section 25; or
  - (h) any officer or member of a co-operative society or any other person in possession of, or reasonably believed to be in possession of, or legally bound to keep in possession, any information, books and records, fails to furnish such information or produce books and records, or to give assistance to person appointed or authorised by the Government or the Registrar under sections 30, 31, 54, 55, 60 or 63; or
  - (i) any officer of a co-operative society fails to handover the custody of books, records, cash, security and other properties belonging to the society of which he is an officer to a person appointed under section 30 or 63, or to an officer elected or appointed in his place; or
  - (j) a committee of a co-operative society or an officer or member thereof

wilfully neglects or refuses to do any act, or to furnish any information required for the purpose of this Act by the Registrar, or other person duly authorised by him in writing in this behalf; or

- (k) a committee of a co-operative society, or an officer or member thereof, wilfully makes a false return, or furnishes false information, or fails to maintain proper accounts; or
- (l) any officer, member, agent or servant of a co-operative society fails to comply with the requirement of sub-section (2) of section 54; or
- (m) any officer or member of a society wilfully fails to comply with any decision, award or order passed under section 60; or
- (n) a member of a co-operative society fraudulently disposes of property over which the society has a prior claim, or a member or officer or employee or any person disposes of his property by sale, transfer, mortgage, gift or otherwise, with the fraudulent intention of evading the dues of the society; or
- (o) any officer of a co-operative society wilfully recommends or sanctions for his personal use or benefit or for the use or benefit of a person in whom he is interested, a loan in the name of any other person; or
- (p) any officer or member of a society destroys, mutilates, tampers with, or otherwise alters, falsifies or secrets, or is privy to the destruction, mutilation, alteration, falsification or secreting of any books, papers or securities or makes, or is privy to the making of any false or fraudulent entry in any register, book of account or document belonging to the society; or
- (q) any officer or member of a co-operative society, or any person does any act declared by the rules to be an offence; or
- (r) the Chief Executive Officer of the society fails to communicate the request to the State Co-operative Election Authority, as required under sub-section (4) of section 30 or sub-section (1) of section 34.

**Explanation :—** For the purpose of this section an officer or a member

referred to in this section shall include a past officer or a past member, as the case may be.

(2) Every society, officer or past officer, member or past member, employee or past employee of a society, or any other person, who commits an offence under sub-section (1) shall, on conviction, be punished,-

- (a) if it is an offence under clause (a) of sub-section (1), with imprisonment of a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both;
- (b) if it is an offence under clause (b) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both;
- (c) if it is an offence under clause (c) of sub-section (1), with a fine which may extend to five thousand rupees;
- (d) if it is offence under clause (d) of sub-section (1), with fine which may extend to five hundred rupees;
- (e) if it is an offence under clause (e) of sub-section (1), with fine which may extend to five hundred rupees;
- (f) if it is an offence under clause (f) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both;
- (g) if it is an offence under clause (g) of sub-section (1), with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year and with fine which may extend to two thousand rupees;
- (h) if it is an offence under clause (h) of sub-section (1), with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year and with fine which may extend to five thousand rupees;
- (i) if it is an offence under clause (i) of sub-section (1), with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend



to one year and with fine which may extend to five thousand rupees;

- (j) if it is an offence under clause (j) of sub-section (1), with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year and with fine which may extend to two thousand rupees;
- (k) if it is an offence under clause (k) of sub-section (1), with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year and with fine which may extend to two thousand rupees;
- (l) if it is an offence under clause (l) of sub-section (1), with fine which may extend to one thousand rupees;
- (m) if it is an offence under clause (m) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both;
- (n) if it is an offence under clause (n) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both;
- (o) if it is an offence under clause (o) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both;
- (p) if it is an offence under clause (p) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both;
- (q) if it is an offence under clause (q) of sub-section (1), with fine which may extend to two thousand rupees;
- (r) if it is an offence under clause (r) of sub-section (1), with fine which may extend to five thousand rupees.

110. अपराधों का संज्ञान— (1) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन के किसी भी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के लिए धारा 109 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन किये गये अपराध के लिए सिद्धदोष किसी व्यक्ति के संबंध में धारा 109 की उप-धारा (2) के अधीन यथा-उपबंधित जुमाने का दण्डादेश उक्त संहिता की धारा 29 के अधीन उसकी शक्तियों के आधिक्य में पारित करना विधिपूर्ण होगा।

(3) धारा 109 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन किसी अपराध के मामले में सरकार की और इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य अपराध के मामले में रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान की पूर्व मंजूरी के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन प्रारंभ नहीं किया जायेगा। ऐसी मंजूरी सरकार के साधारण या विशेष आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान द्वारा, संबंधित पक्ष की सुनवाई के पश्चात् के सिवाय नहीं दी जायेगी।

**110. Cognizance of offences.—** (1) No court inferior to that of a Magistrate of the First Class shall try any offence under this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974), it shall be lawful for a Magistrate of the First Class to pass a sentence of fine on any person convicted of an offence under clause (b) of sub-section (1) of section 109 as provided under sub-section (2) thereof in excess of his powers under section 29 of that Code.

(3) No prosecution under this Act shall be initiated, except with the previous sanction of the Government in the case of an offence under clause (c) of sub-section (1) of section 109 and of the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan in the case of any other offence under this Act. Such sanction shall not be given, except after hearing the party concerned, by an officer authorised in this behalf by the Government by a general or special order, or by the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan as the case may be.

□ □